

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- रथा.(रा.न्या.से.)अवकाश/ १९२३ /2022 दिनांक :- १५ .06.2022

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (न्याय) प्रकोष्ठ, जयपुर के आदेश क्रमांक प.11.(3) न्याय/2002, दिनांक 08.09.2005 संप्रित राजकीय सेवा नियम 1951 के नियम १।-४ के तहत राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारीगण को दिनांक 01.04.2000 से दो वर्षों के प्रत्येक ब्लाक में अधिकतम 30 दिवस के उपर्याप्त अवकाश का नकद भुगतान अनुज्ञेय किया गया है। अतः निम्न वर्णित अधिकारी को उनके आवेदनानुसार अधोलिखित तालिकानुसार उपर्याप्त अवकाश का नकद भुगतान स्वीकृत किया जाता है। जिसकी प्रतिष्ठी सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुरितका में कर दी गई है।

क्र. सं.	नाम अधिकारी एवं पदनाम	समर्पित अवकाश के दिनों की संख्या	ब्लॉक वर्ष	समर्पित अवकाश की दिनांक
1	श्री विशाल भार्गव (RJ0530), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम -09, जयपुर महानगर— प्रथम	30	2022 - 2024	19-05-2022

आज्ञा से,

[Signature]
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
15-06-2022

क्रमांक :- रथा.बी.२(4)/32/2005/ ५५५२

दिनांक : १५ .06.2022

प्रतिलिपि निम्न को शूटनार्थे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर — प्रथम।
- श्री विशाल भार्गव (RJ0530), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-09, जयपुर महानगर — प्रथम।

[Signature]
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
15-06-2022

गोपनीय
15/06/22

AD
15/06/22